

19⁰⁸/₂₄

राज पत्रा. पेठा हुरि। डिझीदार के वकील
उपस्थित हो डिझीदार के वकील ने अग्र
करवाया की डिझी की पालना हो चुकी है
और पत्रा. को Not PRESS किया। पत्रा.
इसी स्तर पर Not PRESS खरिज की
आती है। नम्बर से कम होकर दाखिल
दफ्तर ही।

Not Press
A

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड (ओटपूली-बहरोड)

